न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 51/2017
RCMS Case No. 2017/00368

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
गोरधनलाल पुत्र गुलाबराम जाति बावरी निवासी कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन		1 मोहनलाल पुत्र भीकाजी जाति बावरी निवासी कण्टालिया तहसील मा0जं0 2 सोहनलाल पुत्र गुलाबराम जाति बावरी निवासी कण्टालिया तहसील मा0जं0 3 तहसीलदार (भूमिधारक) मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री आशुतोष दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री शंकरलाल गहलोत, विद्वान अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

–: निर्णय :–

दिनांक : 27/3/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम कण्टालिया तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 2583 पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 07.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें निवेदन किया कि गुलाबराम के तीन पुत्र एवं चार पुत्रियां थी। अपीलाण्ट का भाई मोहनलाल आज से 35 वर्ष पूर्व भीका पुत्र सावल जाति बावरी के गोद चला गया था। इस प्रकार मोहनलाल पुत्र भीका का वादी के पिता गुलाबराम की चल व अचल सम्पति में कोई हक हिस्सा नहीं रहा तथा प्रतिवादी मोहनलाल का भीका की सम्पति में हक हिस्सा निहित हो गया तथा भीका की खातेदारी भूमि ग्राम कण्टालिया के खसरा नम्बर 1242 रकबा 0.9106 हैक्टेयर भूमि फौतेदगी नामान्तरकरण के जरिये प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट के पिता गुलाबराम की खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया, जबकि रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा मोहनलाल पुत्र भीकाजी के गोद जाना बताया

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

है, जो असत्य है, क्योंकि उक्त नामान्तरकरण अपील के साथ न तो रजिस्टर्ड गोदनामा है एवं न ही किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, मात्र एक जमाबन्दी प्रस्तुत की है, जो मोहन पुत्र भीका दर्शाया गया है, वह किसकी है, इससे कोई जानकारी हासिल नहीं होती है एवं इससे मोहन का गोद जाना भी प्रमाणित नहीं होता है एवं न ही इसमें गोदीपुत्र अंकित है। जैर अपील नामान्तरकरण गुलाब के वारिशान के नाम दायर किया गया है तथा अपीलाण्ट स्वयं ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनलाल, गुलाब का जायन्दा पुत्र है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण खातेदार गुलाब पुत्र रामा कौम बावरी के फौत होने पर मोहनलाल, सोहनलाल, गोरधनलाल पि0 गुलाबराम, द्रोपदी, तोला, तारा, नर्बदा पुत्रियां गुलाबराम, भंवरीदेवी पत्नि गुलाबराम कौम बावरी के नाम से दायर किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा मोहनलाल को भीका का गोदी पुत्र बताते हुए जैर अपील नामान्तरकरण की भूमि में उसका अधिकार नहीं होना बताते हुए नामान्तरकरण को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रश्न म्याद का है, तो इस सम्बन्ध में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पक्षकारो के मध्य हक अधिकार जैसे जटिल बिन्दुओं का प्रश्न हो, वहां म्याद के बिन्दु पर प्रकरण का निर्धारण नही किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना ही न्यायोचित माना गया है। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो सके कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनलाल, भीका का गोदीपुत्र हो। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नामान्तरकरण के जरिये हक अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। नामान्तरकरण मात्र एक समरी प्रोसिडिंग है तथा जहां तक हक अधिकारों का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में नियमित वाद ही समुचित उपचार है। इस प्रकार अपीलाण्ट अपील में वर्णित तथ्यों को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 2583 पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 07.02.2013 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड भिजवाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली